(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में (ग्रामीण विकास विभाग) राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (च) जी हां।

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने अध्यादेश लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, पहला निगमित क्षेत्र को बिना सीमा के पट्टे पर भूमि रखने की स्वीकृति देने के संबंध में है और दूसरा भू-मालिकों के साथ-साथ पट्टे धारियों, किसी को भी उद्योगों और नगर बनाने के उद्देश्यों के लिए भू-सीमा प्रावधानों में पूर्ण छूट देने के बारे में प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार ने अभी तक उपर्युक्त राज्यों के अध्यादेशों को लागू करने के बारे में अपनी संस्वीकृति नहीं दी है, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भूमि सीमा कानूनों के बहुत से बुनियादी उद्देश्यों और प्रयोजनों की दृष्टि से विवादास्पद है।

दूसरी तरफ, कर्नाटक राज्य ने भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1995 को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत किये बिना पारित कर दिया और उसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व संस्वीकृति के बिना लागू कर दिया है।

उपर्युक्त विधेयक ने धारा 2, 5, 48 क, 61, 63, 79 क और 109 को संशोधित कर दिया है। धारा 63 के संशोधन के द्वारा एक काश्तकार द्वारा रखी जाने वाली निर्धारित भू-सीमा को काफी अधिक मात्रा में बढ़ा दिया है। धारा 109 में संशोधन के द्वारा औद्योगिक विकास, शैक्षिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, आवास परियोजनाओं और बागवानी परियोजनाओं के लिए भूमि की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। धारा 109 में खण्ड 1 क को शामिल करने से राज्य सरकार ने, जनहित में, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कितनी भी भूमि रखने की छूट देने की असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली हैं।

चूंकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो पहली बार संविधान के अनुच्छेद 31 (ख) द्वारा संरक्षित और संसद के अधिनियमों (1990 से अब तक चौथी बार) द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए भूमि सीमा कानूनों को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत किए बिना और भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना, संशोधित कर रहा है, इसलिए इस मामले को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है। सरकार का इरादा है कि इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों से कानूनी राय प्राप्त होने पर ही आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

रेलवे स्टेशनों में चाय के स्टाल और खान-पान सेवा वाली ट्रालियों का आवंटन

1795. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **प्रधान मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में आवंटित किए गए चाय के स्टालों और खान-पान सेवा वाली ट्रालियों की संख्या कितनी-कितनी है और ये स्टाल और ट्रालियां किस आधार पर आवंटित की गईं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक व्यक्ति को अलग-अलग नाम से दुकानें आवंटित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच कराने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) खानपान/वेण्डिंग स्टालों और ट्रालियों का आवंटन क्षेत्रीय रेलों द्वारा आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार, आवेदकों का चयन गुणावगुण के आधार पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तथापि, रेल मंत्रालय की पूर्व अनुमति से विशेष मामलों के रूप में कुछ आवंटन किए गए हैं, 1993-94 तथा 1994-95 (जुलाई, 1995

तक) के दौरान आवंटित किए गए स्टालों/ट्रालियों की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है:—

रेल	स्टालों की संख्या	ट्रालियां
मध्य	13	1
पूर्व	1	—
उत्तर	13	7
पूर्वोत्तर	20	—
पूर्वोत्तर सीमा	4	—
दक्षिण	17	—
दक्षिण मध्य	1	—
दक्षिण पूर्व	2	—
पश्चिम	36	14

(ख) और (ग) कुछ छद्म नाम वाली शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो सिद्ध नहीं हो सकीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Proposal to double the Sharmir-Mangalore rail line

1796. SHRI JOY NADUKKARA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to double the Sharmir-Mangalore rail line;

(b) if so, whether there is any proposal to entrust the work to Konkan Railway Corporation; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) to (c) It has been decided to take up doubling of Kuttipuram-Calicut-Mangalore line alongwith construction of a new BG rail link between Guruvayoor and Kuttipuram under BOLT (Build, Own, Lease and Transfer) Scheme in which Konkan Railway Corporation can also participate. On completion of these works, it will serve the purpose of doubling between Shoranur and Mangalore via Trichur.

Vacant posts of judges in Orissa

1797. SHRI SARADA MOHANTY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of posts of judges are falling vacant in Orissa high court;

(b) if so, the vacancy position as on 30th October, 1995;

(c) whether steps have been taken by Government to fill up the vacancies; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) to (d) As on 30.10.1995, 8 posts of permanent/ Additional Judges were vacant in the Orissa High Court against the approved strength of 16 permanent/Additional Judges. The appointment of Judges of the High Court is a continuous process. The process of consultation among the concerned constitutional authorities for filling of the existing vacancies in the Orissa High Court is on.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षाएं

1798. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही सिविल सेवा परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के माध्यम से वर्ष 1990 से 1994 तक वर्ष-वार कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए; और

(ख) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा वर्ष 1990—1994 से आयोजित की जा रही परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत सीटें मिलीं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) और